

29.08.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी मनीराम जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण उपस्थित आए। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिये वादी अपना वादपत्र में आगे नहीं चलाना चाहती है। वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

